Dr. RANJEET KUMAR
Deptt. of History
H.D. Jain college, Ara.

Notes For- M.A. sem-III, CC-13, unit-4

Topic- 1919 ई० का भारत सरकार अधिनियम (The Government of India Act of 1919.):- 1919 ई० के अधिनियम की

पृष्ठभूमि:- 1909 ई० के अधिनियम से भारतीय राष्ट्रवादी किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि ब्रिटिश सरकार कुछ संवैधानिक अधिकार देकर उन्हें भुलावे में रखना चाहती है। उस समय मुसलमान लोग भी ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे। तुर्की के साथ तो इंग्लैंड ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। इससे भारतीय मुसलमान बहुत ही क्षुब्ध/क्रुद्ध थे। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रवादी इस बात से भी प्रभावित हुए कि एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन काफी जोर पकड़ रहा था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार हिंदू एवं मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए बराबर कोशिश करती थी, लेकिन मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार की कुटनीति को समझ लिया और राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर दोनों एक-दूसरे के निकट आए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। इन लोगों का पारस्परिक सौहार्द इतना अधिक बढ़ गया कि 1916 ई० में दोनों के बीच एकसाथ काम करने के उद्देश्य से समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। दोनों सम्प्रदायों ने साम्प्रदायिक सुधारों की मांग की।

→ इसके अलावा ऐनी बेसेंट की होम रूल लीग भी राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रही थी। फिर विदेशों में गदर पार्टी काफी सक्रिय थी और अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत भारत के पक्ष में तैयार कर रही थी। एक बात और की कि प्रथम विश्वयुद्ध में इंग्लैंड तथा उसके मित्रों की स्थिति प्रथम दो-तीन वर्षों में बहुत अच्छी नहीं थी। इन सब कारणों से ब्रिटिश सरकार को भारत की राजनैतिक अवस्था के पुनर्वलोकन के लिए बाध्य किया गया।

मांटेग्यू की भारत यात्रा (10 Nov. 1917) —

भारत सचिव मॉंटेग्यू 10 Nov. 1917 को भारत आया, और भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में लॉर्ड-चेम्सफोर्ड, कांग्रेस, लीग के नेताओं तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ सविचार, विचार-विमर्श किया। इसी के आधार पर उसने मॉंटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना बनाई, जो 1919 ई० के अधिनियम का आधार बना।

1919 ई० के अधिनियम के उपबंध

(i) गृह सरकार में परिवर्तन
(ii) हाई कमिश्नर के पद का सृजन
(iii) केन्द्रीय सरकार में परिवर्तन
(iv) केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद
(v) केन्द्र का प्रांतीय सरकार पर नियंत्रण सीमित
(v) केन्द्र में दो सदन
(vi) केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेम्बली
(vii) राज्य परिषद
(viii) निर्वाचकों तथा सदन की सदस्यता के लिए धन सम्बंधी योग्यता
(ix) ~~राज्य परिषद~~ केन्द्रीय विधानिका के अधिकार, इत्यादि। उपर्युक्त पहलुओं पर ध्यान आकर्षित कर नियम बनाये गए/सुधार किये गए-